The question is:

"That the BHI further to amend the Coir Industry Act, 1953, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI M. ARUNACHALAM : Sir, I beg to move :

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at forty-six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at fifty one minutes past two of the clock. [THE VICE CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) in the Chair.]

I STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE STATE BANK OF INDIA (AMENDMENT) ORDINANCE, 1993 PROMULGATED BY THE PRESIDENT ON 15TH OCTOBER, 1993

IITHE STATE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 1993.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 15 अक्टूबर 1993 को प्रख्यापित भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्यांक 33) का निरनुमोदन करती है।"

मान्यवर, 15 अक्टूबर 1993 को अध्यादेश जारी करके भारतीय स्टेट बैंक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति जी की अनुमति से पास किया गया था और उसके उद्देश्यों और कारणों में बतलाया गया है कि वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति यानी नरसिंहम समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं और उस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ कार्यवाही की है। इस विधेयक के गुण और अवगुणों में तो मैं नहीं जाना चाहता लेकिन जो संशोधन किया गया अध्यादेश के जरिए, उसका मैं विरोध करता हूं।

जहां तक मुझे स्मरण है नरसिंहम कमेटी की रिपोर्ट 18 माह पूर्व सरकार के पास भेज दी गई थी और संसद का सत्र उसके करीब 2 महीने पूर्व समाप्त हुआ था और दिसम्बर माह में फिर सत्र आरम्भ होने वाला था। तो सरकार को आदत पड़ गई है कि आवश्यकता हो या न हो, परिस्थितियां हों या न हों, अध्यादेश के जरिए कानून बनाने की आदत उसे पड़ गई है। यह कोई अच्छी परिपाटी नहीं है। उस समय संसद का सत्र तो नहीं चल रहा था लेकिन ऐसी कौन-कौन सी स्थितियां थीं, परिस्थितियां थीं, उसके सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा जिसके कारण बाध्य होकर वर्तमान सरकार को अध्यादेश के जरिए संशोधन करना पड़ा।

अध्यादेश जारी करने के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं है कि उस समय संसद का अधिवेशन न चल रहा हो बल्कि दूसरी अनिवार्य शर्त यह है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों जिनके चलते यह आवश्यक हो जाए कि किसी कानून के अध्यादेश के जरिए संशोधन करना पड़े।

जब अध्यादेश इस सदन के पटल पर रखा गया था, उसमें केवल संविधान के अनुच्छेद 123 से उद्धरण दिया गया था। सरकार को इसका अधिकार प्राप्त है लेकिन बार-बार इस बात की व्यवस्था लोकसभा के अध्यक्षों ने भी दी है कि कम से कम कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिए। कानून बनाने का अधिकार संसद का है और संसद की उपेक्षा करके, बहुमत में रहने के कारण सरकार कानून बना लेती है, संशोधन कर लेती है और फिर संसद से चाहती है कि उस पर वह अपनी मुहर लगा दे। इसलिए मैंने जो अपना संकल्प रखा है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जब अपने विचार व्यक्त करें तो इसका भी संतोषजनक उत्तर देने की कृपा करें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (**डा० अबरार अहमद**) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए।"

महोदय, वित्तीय प्रणाली सम्बन्धी समिति, नरसिंहम समिति, द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने आय की पहचान और प्रावधान करने तथा साथ ही साथ जोखिम वाली अस्तियों के संबंध में पूंजी पर्याप्तता के लिए मानदंडों का एक नया सेट आरम्भ किया है। ये मानदंड, चालू अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार, भारतीय बैंकों के वित्तीय लेखों और विवेकपूर्ण मानकों को सुदृढ़ आधार पर तैयार करने के लिये बनाए गए थे। इन मानदंडों के आरम्भ किए जाने से सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा साथ ही साथ भारतीय स्टेट बैंक को अगले तीन वर्षों में अपने पूंजी आधार को पर्याप्त रूप से तैयार करना पड़ेगा। सभी बैंकों को यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि 31 मार्च, 1996 तक उनकी पूंजी, उनकी जोखिम वाली अस्तियों के कम से कम 8 प्रतिशत तक हो जाए। विदेशी परिचालन वाले बैंकों को यह मानदंड 31 मार्च, 1994 तक पूरा करना है।

बैंकिंग प्रणाली के बुनियादी वित्तीय स्वास्थ्य के लिए पूंजी पर्याप्तता सम्बन्धी निर्धारित मानदंडों को प्राप्त करना आवश्यक है। यह इस की अन्तर्राष्ट्रीय साख के लिए भी जरूरी है क्योंकि पूरे विश्व में स्थित बैंक इन मानकों का अनुपालन कर रहे हैं, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा नियुक्त की गई बैंककारी विनियमन तथा पर्यवेक्षी प्रथा सम्बन्धी समिति द्वारा निर्धारित किए गए थे।

विदेशी परिचालन वाले भारतीय स्टेट बैंक से यह उम्मीद की जाती है कि वह 31 मार्च, 1994 तक 8 परसेंट तक का पूंजी पर्याप्तता सम्बन्धी अनुपात हासिल कर लें। इस प्रयोजन के लिए भारतीय स्टेट बैंक से यह उम्मीद की जाती है कि वह बाजार से भारी संसाधन जुटाए। अतः यह बैंक शीघ्र ही अधिकार-सह पब्लिक निर्गम आरम्भ कर रहा है।

भारतीय प्रतिभूति और ऐक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और साथ ही बैंक द्वारा अधिकाधिक छोटे निवेशकों को आकर्षित कर सकने के योग्य बनाने के लिए तथा साथ ही साथ बाजार अधिमान को मद्देनजर रखते हुए, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में, कतिपय संशोधन करना आवश्यक हो गया। चूंकि उस समय संसद का सत्र नहीं था और उक्त संशोधनों की तत्काल आवश्यकता थी। अतः राष्ट्रपति ने दिनांक 15 अक्टूबर, 1993 को भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1993 प्रख्यापित कर दिया। यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश का स्थान लेगा।

प्रस्तावित संशोधनों में बैंकों के शेयर के अंकित मूल्य में 100 रुपए से 10 रुपए तक की कमी करने, व्यक्तिगत धारकों के लिए 200 शेयरों के प्रतिबन्ध को हटाने और वोट डालने के अधिकार को एक प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर उस पर लगे प्रतिबन्ध में छूट देना शामिल है। शेयरधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और कार्य की पुनरावृत्ति को समाप्त करने के विचार से स्थानीय प्रधान कार्यालयों में शाखा रजिस्टरों के रख-रखाव से छुटकारा पाने, केन्द्रीय कार्यालय में शेयरधारकों का केवल एक ही केन्द्रीय रजिस्टर रखने और उस रजिस्टर को कंप्यूटर फ्लोपियों या डिस्कों में रखने के लिए संशोधन प्रस्तावित है। शाखा रजिस्टर समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप अधिकांश रूप से परिणामी प्रकृति के कतिपय अन्य संशोधन को अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों में भी प्रस्तावित किया गया है।

लोक सभा ने पहले ही 11 दिसम्बर, 1993 को इस विधेयक को पारित कर दिया है। इस के साथ ही, मैं सदन के समक्ष इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

The question were proposed

THEVICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Dr. J. K. Jain, not here. Chowdhury Hari Singh.

3.00 P.M.

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो बैंकिंग संशोधन बिल आया है इसमें माननीय मालवीय जी ने एक प्रश्न खड़ा किया है अपने भाषण में। वह यह है कि अध्यादेश के द्वारा कानूनों को बनाना बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। एक सीमा तक यह बात सही है। लेकिन अध्यादेश जिन परिस्थितियों में, जिन कारणों से लाया गया है, उसकी अरजेंसी जो मालूम पड़ती है उसको भी नजर से हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मौजूदा बिल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं यह उसी सन्दर्भ में है। इस बिल का ताल्लुक अन्तर्राष्ट्रीय बातों दूसरे देशों की बैंकिंग प्रणाली, शेयरहोल्डर्स की कठिनाइयों को ठीक करने से है। इन चीजों को देखते हुए यह बहुत आवश्यक हो गया था कि इस अध्यादेश के द्वारा इसको कानून बनाया जाए। मालवीय जी ने जो बात कही मैं उनको बताना चाहता हूं कि उस श्रेणी में यह नहीं आता है जिसमें अध्यादेशों के जरिए कानून बनाने के लिए सरकार सहमति प्राप्त कर ले। यह बहुत इमीडिएट हो गया था। दुनिया के अन्दर बैंकिंग सिस्टम तेजी से बदल रहा है। इन सब की पूर्ति के लिए, उनके पैरलल लाने के लिए, उनके साथ आदान-प्रदान करने में सहुलियत रहे इसके लिए अध्यादेश को कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई। जैसा माननीय मंत्री जी ने आपके सामने थोड़ा संकेत दिया इसके आ जाने से बैंकिंग सर्विसेज में सुधार आयेगा। जैसे शेयरहोल्डर्स को बहुत सारा झंझट होता था जगह-जगह पर, उनको अब आराम होगा। केन्द्र में एक रजिस्टर होगा। उनको जो थोड़ा सा गेन होता था वह भी उनको मिलेगा। एफिशिएंसी बढ़ेगी, चुस्तता बढ़ेगी, लिटिगेशन के केसेज कम होंगे। बैंकों में हमारी पूंजी बढ़नी चाहिए, केपिटल बढ़नी चाहिए तो वह सब होगा। बैंकों को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिलेगा। यह सब बातें इस बिल के पढ़ने से के मुताबिक पता लगती हैं। यह बड़ा सामयिक बिल है, वक्त के मुताबिक बिल है। आज कोई भी देश आर्थिक तौर पर अलग-थलग रह कर इन्टरनेशनल जगत में कभी खड़ा नहीं हो सकता। जैसे हमारे दूसरे देशों से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध हैं, राजनीतिक सम्बन्ध हैं उसी तरह से सारे विश्व में फारेन ट्रेड में, बैंकिंग में, इकोनोमी में भी हों। ये सारी चीजें मिल कर चलती हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है लेकिन बहुत सारी चीजों में वह सेल्फ सुफिशियंट नहीं है। जापान सारी दुनिया में इकोनोमी में अपना प्रभाव रखता है वह भी अपने आप में सेल्फ सुफिशियंट नहीं है। आज की दुनिया आर्थिक दृष्टि से एक

दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए हम को नये-नये कानून लाने पड़ेंगे। बैंकिंग में लाना पड़ेगा, ट्रेड में लाना पड़ेगा, इकोनोमी तथा दूसरी चीजों में, व्यापार में लाना पड़ेगा। कच्चे माल के लेन-देन में लाना पड़ेगा। यह जो बिल आया है यह इन्टरनेशनल आर्थिक चीजों से जुड़ जाता है। हम बड़े गर्व और घमण्ड के साथ कह सकते हैं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम भी इसी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बैंकों के साथ काम करने में एफिशियंसी के साथ जुड़ जायेगा।

हमारा हिन्दुस्तान डवलपिंग कंटरीज में से एक है। इसकी आर्थिक कठिनाइयां हैं। कर्मचारियों का अपना काम करने का तरीका होता है। बहुत सारी चीज सामने आती हैं। फिर भी हम कहेंगे कि देश का जो बैंकिंग सिस्टम है वह दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होता जा रहा है। जो साधारण से साधारण आदमी है जो दूर-दराज गांव में रहता है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है उसकी एक आदत सी बन गई है कि वह रुपया बचाकर बैंक में जमा कराना शुरू कर देता है। उसने इस परम्परा को लेना शुरू किया है और बैंकों का एक तरह से आन्दोलन शुरू हुआ। श्रीमती इन्दिरा जी ने इसमें अपना बड़ा सहयोग दिया और बैंकों का नेशनलाइजेशन करके सारे देश के अन्दर बैंकों का जाल फैला दिया। मामूली से मामूली आदमी ने भी जिसके पास बहुत थोड़ी पूंजी थी वह भी रुपया जमा करके आज राष्ट्र को मदद करता है और बैंकों में रुपया जमा करके मुल्क के अन्दर एक आर्थिक संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होता है। अखबारों में पढ़ने को मिलता है और कमेंटियों में भी जिक्र आता है कि हमारे बहुत से बैंक अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, वे घाटे में चल रहे हैं। ऐसे बैंकों को दूसरे बैंकों में मर्ज किया गया है। जब वे घाटे में चल रहे हैं तो उनको मर्ज करना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो या व्यापारी हो या कोई घर चलाने वाला हो, जब कोई चीज घाटे में चल रही है तो उसको एक सीमा तक ही सहन कर सकता है। उसके लिए उसको कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। जिसको ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, जिसको बुरे भले का ज्ञान नहीं है, वही इस चीज को सहन कर सकता है। जब हमारे बैंक लौस में जा रहे हैं, एफिशियन्सी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, बायबल नहीं हैं तो उनको मर्ज करने में कोई बुराई नहीं है। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बैंकों में जो कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं या क्लर्क हैं, उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। उनकी जोब सुरक्षित रहनी चाहिए। आप नये बैंक भी खोल रहे हैं, बैंकों को एक्सपेन्ड भी कर रहे हैं उनमें इन कर्मचारियों को एडजेस्ट करना चाहिए। उनकी सर्विस को किसी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए।

यह जो बिल लाया गया है इससे बहुत सी चीजें आधी हो गई हैं। मैं इस मौके पर बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे बैंक हिन्दी में इम्तिहान नहीं लेते हैं। प्रमोशन के लिए जो इंटरनल परीक्षा होती है उसमें हिन्दी का मीडियम नहीं है। हमने कितनी बार चिट्ठी लिखी, लेकिन कुछ नहीं होता है। ओवरसीज बैंक हिन्दी में नहीं है। साउथ का एक इंडियन बैंक है उसमें हिन्दी परीक्षा का माध्यम नहीं है। प्रमोशन के लिए हिन्दी मीडियम नहीं है। इस तरह से हिन्दी को ओवरलुक किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का मैं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बैंकों में जो इंटरनल इम्तिहान होता है उसका मिडियम हिन्दी होना चाहिए और उसको भी मेरिट गिनी जानी चाहिए। हमने पार्लियामेंट में यह सवाल उठाया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने जवाब दिया कि हम हिन्दी में करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया है। इस कारण से बहुत सारे एफिशिएन्ट चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों

का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। इस तरह से प्रमोशन में धांधली चल रही है। बहाना बना दिया जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को बैंकों में समय पर प्रमोशन नहीं मिलता है। उनकी एन्ट्री खराब कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि यह पर्शियल इम्बेजलमेंट है। एक नौजवान को तो मैंने देखा कि जिसको एक मामूली वार्निंग दे कर काम चलना चाहिए था और क्योंकि वह शेड्यूल्ड कास्ट का था इसलिए उसकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई। मैंने उस पर परसनल एटेंशन दिया, लेकिन फिर भी उसकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई। इस तरह से बैंकिंग सिस्टम के अन्दर जो कास्ट सिस्टम घुस गया है और परटिकुलर कम्युनिटी वालों को ही नौकरियों में लिया जाता है उसको समाप्त करने की जरूरत है। खानदान पर खानदान नौकरी में चले आते हैं। एक तरह से उनकी मोनोपली हो गई है। इसको टूटना चाहिए। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वे यह देखें कि जब नई भर्ती हो तो ईमानदारी से रेक्रूटमेंट हो, फेयर इम्तिहान हो और क्वालीफाइड मेरिटोरियस लोगों को नौकरी पर लिया जाए। शेड्यूल्ड कास्ट और आदिवासियों का कोटा पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता है? माइनारिटीज को लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? बैंक सर्विसेज में ब्राडबेस्ड जस्टिस लाया गया है या नहीं लाया गया है? लेडीज के लिये जस्टिस लाया गया है या नहीं लाया गया है, यह सब देखना पड़ेगा। आप आज अगर सर्वे करें तो पायेंगे कि भाई भतीजावाद, खानदानवाद और क्लास का जो इंटरेस्ट है यहां इतना है जितना किसी भी सर्विसेज में नहीं मिलेगा। मान्यवर, आज बड़ी तेजी से बैंकों की सर्विसेज में चेंज लाये जा रहे हैं और उनको लाना पड़ेगा। आज सब जगह नरसिंह राव जी द्वारा आर्थिक क्षेत्र में नयी नयी चीजें लाई जा रही हैं जो देश को तरक्की की तरफ ले जा रही हैं। इससे मुल्क बहुत खुशहाल होने वाला है। इन चीजों से हमारा बैंक सिस्टम जुड़ा हुआ है, इससे मुल्क खुशहाल होगा, देश में प्रास्पैरिटी बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, सारा आदान-प्रदान और देश के उद्योग बढ़ेंगे इंडस्ट्री बढ़ेगी। इन सब के साथ बैंकिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है। लेकिन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग मशीनरी, बैंक के सारे डाइरोक्टरेट, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप जो है वह पूरी तरह से किसी विशेष सेक्शन के हाथ में नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको देखना होगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात यह कहना चाहता हूं कि जो बैंकों की स्कीम हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आवाम के लिए चलाई हैं, जैसे अनइम्पलाइड यूथ्स के लिए योजना की घोषणा हमारे प्रधानमन्त्री ने की है, इस तरह की स्कीमें 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। लेकिन जो हमारे बैंक हैं उनको इसमें धीमा और सुस्त नहीं होना चाहिए। वह इन्तजार करते हैं कि बीच में आकर कोई बिचौलिया आये और बात करे। यह धारणा बिल्कुल टूट जानी चाहिए। बिल्कुल सीधा-सादा हिसाब होना चाहिए। दो और दो चार होते हैं और तीन और दो पांच होते हैं। चार के सिस्टम और आठ के सिस्टम में यह होना चाहिए न कि दो और दो पांच और दो और दो तीन। यह नहीं होना चाहिए। भारत सरकार की जिन नीतियों की घोषणा नरसिंह राव जी, हमारे प्रधानमन्त्री ने की है उनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। इनको सफल बनाने में हमारे बैंकिंग सिस्टम को बड़ी चुस्ती के साथ, बड़ी हमदर्दी के साथ लागू करना चाहिए ताकि आने वाले यह न समझें कि हम बैंक नहीं कोतवाली जा रहे हैं। मान्यवर, लोग शिकायत करते हैं कि जब वे बैंकों में जाते हैं किसी स्कीम को लेकर तो बैंकों के आफिसर उनसे खार खाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और कहते हैं कि सरकार के दामाद आ गये हैं। वे ऐसी बात कहते हैं। यह जो बैंक वालों का बिहेवियर है वह कब बदलेगा? मैं कहना चाहता हूं कि

अगर देश से बेरोजगारी को दूर करना है और नये उद्योगों को बढ़ावा देना है तो बैंकिंग सर्विस को ज्यादा से ज्यादा एफिसियेंट बनाना होगा। इसके लिये जो बैंकों के कर्मचारी-गण हैं उनको ह्यूमनटेरियन बनना होगा। उनके अन्दर मानवता होनी चाहिए, वे इंसान को इंसान समझें और वे समझें कि हम जो बैंकों में किसी काम के लिये आते हैं, उनके लिये यहां बैठे हुए हैं,। हमें जो तनख्वाह मिलती है वह इसी लिये मिलती है कि जो वहां पर काम के लिये आते हैं, उनकी वह मदद के लिये बैठे हैं, उन पर हुकूमत करने के लिये नहीं। अगर वहां पर ऐसे काम होंगा तो हमारी सरकार जो स्कीम और योजनायें चला रही हैं वह सफल होंगी, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इस बिल का बड़ी मजबूती के साथ ह दिक समर्थन करता हं। धन्यवाद।

SHRI ASHIS SEN (West Bengal) : Sir, in the banking sky of our country a new move is being taken by the Government, the move gradually to bypass what was done for building public sector banking institutions, and bypass them on to private sector. My time is too short. I have only four minutes. In such a short time I will not be in a position to do justice. One or two minutes more I will seek from you.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Okay.

SHRI ASHIS SEN : In a graphic manner I am telling you that the move is stated to be based on the Narasimham Committte recommendations and you know the Narasimham Committe has not done something which has grown from the soil of this country. The recommendations were .virtually the prescription made- by the World Bank and the IMF. All the world Knows—the world of this House and the country here. Who prescribed this ? They prescribed this. Not according to our requirements, but according to the requirement which was thought of by the world Bank and IMF: Capital adequancy is a new concept that has been brought into our country. Our banking: system has been in existance for more tha[n hundred years or a hundred and fifty years. There was no urgent need for this being brought in. They had been doing well on the basis, of the standards and norms fixed by them without those set by the Bank for International Settlement. Tiday, they are called up on to keep a capital of 8 per cent of risk weighted assets. Eight per cent of capital has got to be kept by banks which have overseas branches. Now the State Bank of India is one of the banks which got overseas branches. There is no doubt about that. Is it obligatory just because the Narasimham Committee in the light of the prescriptions from abroad—they have prescribed something that they have to be implemented here right now, whether the circumstances warrant it or not I think that a dilution of our nationalised banks which are owned by the Government should be done. It should not be done in the manner in which they want it. It can be spread over a period. The 8% adequacy norms may have some relevance to our international financial transactions. That we can understand. But what is the harm in spreading it over a period, keeping the nationalisation character intact, instead of paving the way for privatisation? The Bank is having a capital of Rs. 200 crores. In the Bank's balance-sheet the management has said that they had almost complied with the requirement of the capital adequacy norms. A little more is required. But it has already got a reserve fund and a surplus/which aggregate Rs. 1, 459 crores. How milch do we require to comply with the norms? It is something around Rs. 2,000 crores or so. It has got land and buildings—massive structures— in the metropolitan cities and big towns. Some of them cinstitute a book value of Re. 1. I know the maissive structures in Bombay, Madras and Calcutta are costing hundreds -of crores of rupees. But their book value is Re. 1 each. According to the book value, the value of ali these land and bulidihgs is Rs. 261 crores. But this ap-preceated current value would be thousands of. crores of rupees. It can very well be around Rs. 26,000 crorbs or so. But this has not been taken into consideration while

revaluing the price of shares. This means that the asset value of a 10. rupee share, which is a sub-divided, portion of 100 rupee share, will be to the extent of Rs. 1,300 How much is the capital adeqacy requirement ? As I said earlier, it is Rs. 2,000 crores to Rs. 2,500 crores and it can be made available from within the institution itself by revaluing the fixed assets instead of going to the market. Hundred rupees share has been fragmented into Rs. 10 share with a premium of Rs. 90. This is very much under-pricing depriving the State Bank of India the Money which it would have got from the market had there been proper pricing. Pricing was not an important issue at all as long as it was not meant for public issue, and was a rights issue of the shares. It is important now because the market price is very high. For a share of Rs. 10 the price should have been at least Rs. 3000; instead Rs. 10 shares are being sold at Rs. 100, Rs. 90 being the premium. It could very well be done at Rs. 10 with a premium of Rs. 290. They are going to public for Rs. 124 crores worth of shares. Had this assessment been made, had they gone to the market with a proper valuation of the fragmented Rs. 10 shares, the Bank would have netted Rs. 3,596 crores. This is a nationalised bank. The premium of Rs. 90 brings about Rs. 1,116 crores. Has it been properly done ? It has not been properly done and because of that the State, the owner of the Banks. Is losing to the extent of Rs. 2,480 crores. In whose interest ? Whose purpose will be served ? That is the main question before us. The profit will go to a limited number of private shareholders at the cost of the State Bank of lndia. It is proposed by this Bill to make it strong and fulfil not the requirements of our country but the requirements of the foreign mandate which they have got. Considering all these factors, public issue price of a share, if at all it is required to be done, should have been in the range of Rs. 1,000 to Rs. 1,300. Without resorting to a public issue, a rights issue could be made to raise capital. It would have fetched Rs. 12,000 crores to the coffers of State Bank of India had it been properly priced. But the requirement of capital adequacy today is around Rs. 2,000 crores or so. The proposed public issue is likely to benefit only a limited number of shareholders because all the applicants are not going to get it. Only a selected number of people will get, It will reduce the RBI holding from the present 98.23 per cent to 68.93 per cent. This is nothing short of an initial stage in the direction of privatisation of this bank. In this process a ground is being prepared for privatisation of other banks. I hope all the Members would oppose it. I do stand here to oppose the proposition of this type of backdoor privatisation. At present, no private shareholder can exercise voting right in excess of one per cent of the issued capital. But it is raised to 10 per cent by this Bill. The Government and the Finance Miniseter always say "we are going to retain our control" but more and more relaxation is being given to the private shareholders to control the policies of banks. Will the Minister say, "We are not going to privatise it" ? The Statement of Objects and Reasons says, "To enable the bank to attract a large number of smaller individual investors." It says about individual investors, not about investors of this country only. It is not mentioned anywhere that these small investors will not include foreign investors. It it prevented by the Bill ? Will the Minister indicate that there will be no foreign participation in these shares? I can understand that there is some reason behind it.

Taking the overall position, I stand over by step privatisation of the nationalised banks in our country. So much money is being given away to the public at the cost of the State Bank, at the cost of the national exchequer. I cannot support this Bill. I fully oppose this Bill.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सामने लाया गया है, स्टेट बैंक आफ इंडिया, अमेंडमेंट बिल, 1993, यह स्टेट बैंक आफ इंडिया एंक्ट, 1955 का अमेंडमेंट करने के लिये लाया गया है।

काफी सारे संशोधन इसमें प्रोपोज किये गये हैं। 23 क्लाजेज इसमें हैं। क्लाज बाई क्लाज अगर देखा जाए तो इसमें बहुतेरी चीजें ऐसी हैं जो काफी आपत्तिजनक हैं। मेरे पहले बोलने वाले वक्ता ने कुछ बिंदुओं के बारे में कहा कि क्यों इस विधेयक को पारित नहीं करना चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं। एक तो यह सही है कि बैंक का खजाना काफी मजबूत होना चाहिए और इसके लिए 8 परसेंट कैपिटल इक्वल शेयर्स होने चाहिएं। कैपिटल एडीक्वेसी नार्म्स इसमें होने चाहिएं। यह सही बात है कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम काफी पुराना है। कोई नयी बात नहीं है और हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद जो छोटे-छोटे बैंक्स थे उनको इकट्ठा करके और इम्पीरियल बैंक को मिलाकर स्टेट बैंक हुआ। यह सरकारी बैंक है और रिजर्व बैंक हमारा बैंकर्स है। यह वर्तमान सरकार जब आई तो इन्होंने कुछ नयी आर्थिक संरचना करने की घोषणा की। नयी आर्थिक और औद्योगिक नीति को जो घोषणा हुई उस घोषणा के तहत जो-जो कदम उठाये गये उसमें हमारे देश के कई हिस्सों के बारे में आर्थिक संरचना के बारे में भी विदेशी कम्पनी से जो हमने कर्ज लिया, बैलेंस आफ पेमेंट, उसको रिपे करने के लिए सूद को चुकाने के लिए इंटरनेशनल मानेटरी फंड ने, वर्ल्ड बैंक ने कुछ शर्तें रखीं और धीरे-धीरे हमारी सरकार उन शर्तों के मुताबिक काम करती चली जा रही है। धीरे-धीरे बैंकों के निजीकरण का काम करने के कदम उठाने शुरू किये हैं। निजी बैंक खोलने की इजाजत दी जा रही है। स्टेट बैंक सरकारी बैंक है, हमारा राष्ट्रीय बैंक है यह और सबसे बड़ा प्राइम बैंक है। इसके शेयर बेचे जा रहे हैं। निजी शेयर होल्डर्स को इस बैंक की जमा पूंजी के ऊपर, वोटिंग राइट के ऊपर, कंट्रोल दिया जा रहा है। समझ में नहीं आती है कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है। बैंकर्स बैंक का जो शेयर है उसमें फेस वैल्यू सौ से घटाकर दस रुपया करने का क्या औचित्य है। यह सही बात है, स्टेट बैंक की आज भी जो साख है, उसमें शेयर की कीमत बढ़ सकती है घट नहीं सकती है, लेकिन सरकार खुद उसको घटाकर बेचना चाहती है, इसकी वजह क्या है? इसको सरकार को सफाई से कहना चाहिए कि क्या यह विदेशी पूंजी पतियों को हमारे यहां बुलाने के लिए या अपने देश के जो निजी पूंजीपति हैं, उनको ज्यादा लाभ देने के लिए यह काम किया जा रहा है?

महोदय, अभी-अभी अखबारों में स्टेट बैंक आफ इंडिया के कुछ विज्ञापन आए हैं जिनको कि राइट कम पब्लिक इश्यू कहा जाता है, क्या स्टेट बैंक ने वह भी जारी करने का काम शुरू कर दिया है? अगर हां तो उससे कितनी उपलब्धि होगी और यह राइट कम पब्लिक इश्यू में कितने शेयर बेचेंगे और उससे स्टेट बैंक को अंदाजन कितनी आमदनी होगी, उसके बारे में भी सरकार को सफाई से बात करनी चाहिए? महोदय सबसे बड़ी आपत्ति जनक बात यह है कि स्टेट बैंक की कंट्रोलिंग अथॉरिटी धीरे-धीरे निजी हाथों में चली जाएगी, शेयर होल्डर्स के हाथों में चली जाएगी जो कि नहीं होना चाहिए। हम इसका घोर विरोध करते हैं और हमें डर है कि आने वाले दिनों में धीरे-धीरे हमारे बैंकिंग सिस्टम को निजी उद्योगपतियों के हाथों में देने का, जैसा कि अन्य देशों में और दुनिया का जो सबसे बड़ा पूंजीपति देश है वहां है, उसी तरह से हमारे यहां भी करने का इरादा है जो कि नेक इरादा नहीं है। यह हिन्दुस्तान के औद्योगिक विकास के रास्ते में बाधा है। हमारे देश की जो संरचना है जिसमें कि अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिस देश के 50 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, हमारे देश की आर्थिक संरचना के लिये इस तरह का बैंकिंग सिस्टम बहुत ही नुकसानदेह होगा। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to oppose the State Bank of India

(Amendment) BUI, 1993. This Bill has been brought here to see to the reduction in the face value of the bank shares from ' Rs. 100 to Rs. 10, for the removal of the ceiling limit of 200 shares in individual holding, for relaxation of restrictions on voting rights from one per cent to 10 per cent and to give up the practice of main- taining the branch register. These are the four important reasons. What are the rea- sons given by the Government in the Statement of Objects and Reasons in the i Bill ? They wanted to resort to the Nara- simham Committee Report. They say they wasted to maintain the capital adequacy norm. The capital adequacy norm is suitable in the case of western banks. As far as Indian banks are concerned, the system of functioning is totally different from that of the Western banks. Therefore, we will have to thoroughly go through the Narasimham Committee Report. The Nara-simham Comittee Report is based on the standards laid down by the Bank of Inter- national Settlements. Based on that report they say that eight per cent of the non-secured loans should from the capital of any bank, that is, capital adequacy norm. This is not suitable because in India the system is totally different. It is totally service-oriented. It is backed by a quaran-tee from the Government. If you go through the ratio of capital as well as the turnover, you will find that public opinion is not against the way these banks function. If you take the example of the Bank of Baroda, you will find that the actual capital is Rs. 359 crores while the business, the deposits are to the extent of Rs. 28,763 crores. I think only one example is enough. From this, we can find out that with a mere capital of Rs. 359 crores, they are able to do business to the extent of Rs. 28,763 crores. They are able to amass deposits to such an extent. It is because the people have confidence with the banks. Now, what is the necessity for bringing in this particular amendment ? I feel this is nothing but to privatise the banking industry. This is one among the structural reforms that are taking place in the country in the name of blobalisation. Therefore, I oppose the ,Bill in principle and I also oppose the practical aspects of the Bill. I oppose the Bill in principle because the Government says in the Bill that 51 per cent of the shares will be held by the Government of India. But the Reserve Bank holdings will be reduced. What I feel is that subsequently, in a year or two, the bank's administration will be automatically handed over to the multinationals. Regarding the value of the shares, the Movement in the share prices of the bank on the Bombay Stock Exchange is stated in the share application from itself. The present share value has been fixed at Rs. 100 per share. But I can give you one example. In October, 1993, the actual high price was Rs. 4500 and the low price was Rs, 3250. The actual share premium could be fixed at Rs. 315 which means a share worth Rs. 10 can be sold at Rs. 325. But instead of Rs. 325, you have yourself fixed the share value at Rs. 100. There is some- thing flshy in the decision of the Government. Therefore, I feel that the whole thing has been manoeuvred in such a way a*s* to privatise the banking industry in future and to satisfy the IMF and the World Bank. It is only to satisfy the IMF and to satisfy the World Bank that they are doing this. For example, they have already agreed to reduce the fiscal deposit as well as the conventional Budget deficit. They are unable to pay the money to the Banks but at the same time Banks have the keep the capital adequacy norm. I can say that they are adopting the disinvestment policy in the banking sector also and it is being handed over to the private people. Before nationalisation of the banks, the people who had their own industries became the directors . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : Please conclude.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: They would favour their own industries because they were the directors there. New, I fear that the same thing might happen. In another two or three years, it is go*ing* to go to the private people. For example, I shall tell you. one thing, The tanks *are* giving some facilities to the small seale

industries. But is actually happening ? The big industries, in the name of small scale industries, are also availing of these facilities. Once the multinationals enter this field, they will suck, the blood of the people. The deposits of the public will be utilised by these people for their own benefits. To save and help the multinationals, the Government has decided to punish the people of our country. Therefore, I strongly condemn this action of the Government and oppose this Bill with all rights at my command.

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I stand before you to support the Bill. There was an argument that by this Bill, the Government is trying to hand over the State Bank of lndia to private hands. If they have read the Bill properly, they would note that after the amendment, the RBI will have, as per the information that I have got, 68.93 per cent of the share. The share of the public and the employees of the banks is 20.33%, financial institutions 5.73%, Indian mutual funds 5.37%. Still, The Reserve Bank of India will have a major chunk of share in its hands and the Government has very clearly stated in the objectives that they will not have less than 51% share. Then, I am not able to understand the argument of my colleagues that banks are being handed over to private capital. Another thing I may like to mention here is that adequate capital to business ratio has become necessary for banks in India. Canara Bank has got 3.05% capital-business ratio percentage. Some of the banks are operating even with 0.95%. Syndicate Bank is operating with 1.01%. They are operating with these percentages because guarantees are given by the Government. Because of this, they have a feeling that they need not maintain any ratio for their business to capital. If there are any losses, if there are any problems, Government will always come forward to support the banks. I also wish to mention that I welcome the capital adequacy ratio of 8% which has been mentioned in the Bill.

Regarding reduction *in* the face value of shares. I am not able to understand how the reduction in the face value of shares is going to be justified because serious doubts have been raised both in Lok Sabha and here on what the exact value of the share is, wheher we are making any wrong decisions and various other conjectures are arrived at. I want to bring this to the notice of the Government.

Sir, I don't want to go further except to say that the banks were nationalised 25 years ago and the reason for nationalisations was that suddenly many banks had collapsed. I may like to bring to the notice of the Government that two banks had collapsed at that time. Naturally, we wanted to nationalise them for social reasons. Nowadays, profit has become very important. Somebody has questioned about the profit motive of the banks. Whether it is a Western country or some other country, profit motive is there everywhere. Even though we were bringing various other objectives into the banking sector during the last 25 years, there is no work culture in the banks. There is corruption in banks from top to bottom. Banks have become arrogant and inefficient. So, I personally feel that it is high time that we removed the inadequacies of the nationalised banks. At the same time, we have to see that private banks don't repeat their performance before nationalisation. The reason for nationalising the banking sector has to be gone into and see that these inadequacies are removed. I once again welcome the Bill and support the Bill wholeheartedly.

Thank you.

SHRI ASHIS SEN : Sir, profit making was considered important by the State Bank of India. On the Rs, ,200 crore capital, it has made Rs. 627 crores profit during 1992-93. Out of that, Rs. 415 crores have been tucked away in the name of provisions for age-old bad debts.

श्री चतुरानन मिश्र: (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल, 1993 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, उनके लिये जैसे मंत्र बन गया है—जय श्रीराम, वैसे ही शासक पार्टी के लिये मंत्र बन गया है—ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। हर बात में यह कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, अन्तर्राष्ट्रीयवाद। नेहरू जी से बड़े यही लोग अन्तर्राष्ट्रीयवादी हैं, जिन्होंने जीवन में ऐसा नहीं होने दिया। इंदिरा जी ने स्वीकृत किया था बैंकों का नेशनलाइजेशन, यह एक-एक करके उसे समाप्त करने की दिशा में जा रहे हैं। अभी वे कह रहे थे क्यों कर रहे हैं इसको उसमें कि स्टेट बैंक जो है, वह दूसरे पब्लिक सैक्टर बैंक की तरह ही नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारे देश में एक विशिष्ट स्थान है। यहां बहुत सा रुपया रोजाना ऐसा जमा होता है जिस पर सूद नहीं देना पड़ता। रेलवे विभाग में जितना टिकट बिकता है वह सब पैसा रोजाना स्टेट बैंक में जमा किया जाता है। उस पर एक पैसा भी आपको सूद नहीं देना पड़ता है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत बहुत सी चीजें हैं। तो यहां तो प्रोफिट का मार्जन बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन है क्या ? इतना ज्यादा गोलमाल, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता है जिसके चलते ऐसा हो रहा है। अब यह लोग इसका इलाज प्राइवेट सैक्टर में देखते हैं। तो प्राइवेट सैक्टर से तो आपने 114 टैक्सटाईल्स मिल्स को ले लिया था, जो सब फेल कर गया था। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि स्टेट बैंक का जो एक स्पेशल करेक्टर है उसको आप डेस्ट्रोय कर रहे हैं, बरबाद कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि हमको केपिटल चाहिए। दूसरा कहते हैं कि हमने यह 10 रुपए का शेयर इसलिए किया है ताकि उसको जनसाधारण के लोग भी खरीद सकें। सच्ची बात तो यह है कि जनसाधारण तो खरीदता ही नहीं है। किस हलवाहे ने शेयर खरीदा है किस मजदूर ने शेयर खरीदा है, क्या आप बता सकते हैं ? अगर यही करना है और आपको शेयर देना है तो आपने अभी एम्पलाइज के लिए एक करोड़ बीस लाख शेयर दिये हैं। तो उसी को तीन करोड़ कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ पूंजी जमा करनी है तो इसको आप एम्प्लोई प्रोविडेंट फंड वाले को भी खरीदने के लिए कह दीजिए, वह भी शेयर खरीद लेंगे। आप जी० आई० सी० को कह दीजिए, वह भी शेयर खरीद लेंगे। जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको रिस्ट्रेक्ट कर दीजिए। हमको तो एतराज है कि बड़ी-बड़ी कम्पनियों के मुनाफाखोरों को आप इसमें ला रहे हैं। इसको आप रोक नहीं सकते हैं ? और तब और भी ज्यादा घोटाला होगा। आप चाहते हैं कि जो नई आर्थिक नीति आपने बनाई है उसमें तो बहुत से हर्षद मेहता जन्म लेंगे और बहुत सा सूटकेस आपके पास आएगा—ब्रीफकेस। —(घंटी)— इसी का इंतजाम आप इसमें कर रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है। चूंकि आपने घंटी बजा दी है इसलिए मैं कुछ सवाल ही रख रहा हूं।

शेयर वैल्यू का जो अवमूल्यन किया गया है उसके बारे में हमारे मित्र आशीष सेन जी ने जो कुछ कहा है, उसका मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि क्या विदेश के लोग जो शेयर मार्केट में आ रहे हैं, वे इसको खरीदेंगे या उन पर कुछ रोक है ? इसको आप स्पष्ट कर दीजिए कि ऐसा होगा या नहीं होगा ? दूसरे, हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप सचमुच भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं और ट्रांसपिरेंसी चाहते हैं तो हमारे सी०ए० जी०—कम्पट्रोलर आडिटर जनरल को क्यों नहीं आडिट करने देते हैं ? बैंक को क्यों नहीं पार्लियामेंट्री कंट्रोल में आप लाने देना चाहते हैं अगर आपको गड़बड़ी को नहीं छिपाना है ? डिफेंस के लिए तो पार्लियामेंट्री कमेटी जांच कर सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा

जरूरी है, क्योंकि इसमें पूंजीपतियों का बेईमानी भरा हुआ खेल आपके साथ होता है इसलिए उसको आप इसके अंदर नहीं आने देते हैं, नहीं तो दूसरा कारण नहीं है कि आप उनको ऑडिट नहीं करने दें और पार्लियामेंट्री कंट्रोल में नहीं आने दें और इसलिए आप इसको करते हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा। आपने चर्चा की कि विदेशी बैंकों को भी प्राइवेट सैक्टर में 15 परसेंट से बढ़ाकर 32 परसेंट किया है, ठीक है। यह अच्छी बात है, हम इसको खराब नहीं समझते हैं। लेकिन यह इन्विस्टमेंट क्यों नहीं होगा जितना पब्लिक सैक्टर बैंक हैं, उसकी तरह 40 परसेंट इनके लिए क्यों नहीं रखा जाएगा। जब आप दूसरों के लिए रखते हैं तो इनका भी रखिए। कहां तो इस देश में पीने का पानी नहीं मिलता है, उसके लिए कर्जा भी नहीं मिलता है और आज ही आपने इस सदन को बताया कि ओवरसीज बैंक जेवर खरीदने के लिए एडवांस देती है। क्या जेवर खरीदने के लिए इस राष्ट्र को ज्यादा जरूरत है या पेयजल के लिए ? तो दोनों में क्या जरूरी है ? मंत्री महोदय, अब उधर बैठ गए हैं, नहीं तो पहले तो हमारी तरह बोला करते थे। वहां जाने से क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। उस सीट की जांच करवानी चाहिए कि क्यों ऐसा गड़बड़ा जाता है वहां आदमी जाकर के। उसके नीचे कुछ न कुछ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : प्लीज कॉन्क्लूड।

श्री सतुराम मिश्र : दूसरे, हम आपको कहना चाहेंगे कि यहां हमारे सामने आया है कि यह न्यू बैंक जो पी० एन० बी० में मर्जर हुआ है, वहां के कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। वहां के सभी बड़े-बड़े आफिसर तो दिल्ली और इसके आसपास इधर ही हैं और जो साधारण लोग हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, उनको दूर-दूर में ट्रांस्फर कर दिया गया है।

हमारे पास ऐसी रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक में एकसाथ महिलाओं का प्रमोशन नहीं होने देते हैं। अगर प्रमोशन करते भी हैं तो उनको पिथौरागढ़ भेज देते हैं और खुद माननीय लोग शहर में रहते हैं। यह सब क्या हो रहा है ? इसे देखना चाहिए। हिंदी की परीक्षा के बारे में आपके ही दल के एक सदस्य ने कहा। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि अगर इस ढंग से प्राइवेट शेयर ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट की जो पालिसी है बैंक में आरक्षण की एस सी० और एस० टी० के लिए, वह जारी रहेगी या उसको भी समाप्त कर दीजिएगा ? यह भी सोचा जाना चाहिए कि उसका क्या किया जाएगा। यही सब हुआ तो जो गति आपकी उत्तर प्रदेश में हुई है, वह सारे भारत में हो जाएगी। इसीलिए हमने आपसे कहा कि इसको भी कीजिए।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि अभी कुछ बैंकों के मर्जर के बारे में हमने चर्चा की कि उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। हम यह भी देखते है कि जो सड़ा-गला नोट होता है, वहीं से इशू हो जाता है, ऐजेन्सी से इशू हो जाता है। क्या सारे ही नोट सड़ गए हैं ? इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इस तरह की बातें लोग हमसे कहते हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बैंकों में सचमुच में रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है और वहां बहुत ही भ्रष्टाचार है। उसके लिए कर्मचारियों से सहयोग ले करके और बैठ करके, पार्लियामेंटरी कंट्रोल दे करके, सी० ए० जी० को ऑडिट का अधिकार दे करके इसको सुधारा जा सकता है। विदेशियों को बुला करके इसको नहीं सुधारा जा सकता है। वह कोई सुधार नहीं होगा। इसीलिए मैं फिर एक बार दोहराता हूं कि मुझे अंदेशा नहीं है बल्कि मेरी निश्चित राय है कि इसमें प्राइवेट सैक्टर के धन्नी-सेठी लोगों को, पूंजीपतियों को लाने के लिए आपने ये किया है। अगर सिर्फ पूंजी जमा करने का उद्देश्य रहता तो वह दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है और तब आपके हाथ में यह बैंक रहेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

SHRI V. NARAYANASAMY : (Pondicherry) : Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the State Bank of India (Amendment) Bill 1993, Sir, there are three basic amendments proposed by the hon. Minister. One is about getting money from this public for strengthening the financial base of the bank. The second one is to keep the banks in a financially sound position by increasing the total capital equivalent to 8 per cent of their risk weighted assets by 31st March, 1996. Since the State Bank of India is having overseas operations, it has to mobilise substantial additional resources also from the market. And this is the policy change that has been brought by the Government in this Bill. Sir, since there is now the new economic policy and also the new export-import policy that have been brought by the Government, it is absolutely necessary for the Government to bring forward various amendments to various legislations relating to the financial institutions, to be in consonance with that policy.

Sir, the Parliament does not have the right to discuss the functioning of the public sector banks. When Smt. Indira Gandhi was the Prime Minister of this country. she wanted to throw the banks open for the poorer sections of the society so that they can go to the banks and get the financial assistance for starting business and having serf-sufficiency on their own This is being diluted slowly. It is being slowly diluted because of the style in which the banks are functioning today.

As far as the State Bank of India is concerned, it is functioning under the influence of some vested interests. We know what was the purpose behind the nationalisation of banks. It was intended to help the common man. It was intended to help the poorer sections of the society. With that in view, the Government introduced various social welfare measures. But what is the situation today? When a poor person goes to the bank for getting some loan facility, he is not able to get it. This is the case especially with the State Bank of India. The norms that have been fixed by the State Bank of India are being followed uniformly whether a person is-rich or poor. When a big industrialist goes to the bank, or, when | a big exporter goes to the bank, for getting | some loan, it Is being provided immediately without going into the various formalities which are required to be completed. The securities scam is the outcome of this

Sir. the norms that were fixed earlier by i the State Bank of India in regard to lend-I ing in favour of industries, in favour of ′ business, as well as- in relation to the people from the poorer sections of the society, [have to be reviewed. I say this because an elaborate procedure is being followed now.

At the same time, it is diluted in some , cases. Therefore, this should be gone into.

Some time back, a report was submitted to Parliament by the Committee on Public Undernkings wherein a recommandation was made that banks should come wider the scrutiny of the committee-system. They said that the scrutiny should cover the Reserve Bank of India also. Today, the position is that what is happening in the banks is not known to Parliament and, therefore, to the general. public. That – is why the Committee recommended, that thepublic sector banks should come under its,purview. It is a financial, committee whichlooks into the performance of public sector units.Even -though this racommandationhad been made, so far the Government has not taken any decision in this regard.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: | (Andhra Pradesh): *Are* you supporting | the Bill or opposing the Bill

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: (Andhra Pradesh) : Both.

i SHRI V. NARAYAMASAWY. I am giving suggestions, Mr. Padmanabham. I do not know whether you are following my speech or not.

Sir, this was a very valuable recommendatian made by the Communittee on Public Undertakings. I hope the hon. Minister would respond positively to this: It is duty

much necassary because *there* is total corruption; mismanagement and maladministration in toe functioning of the banks, particularly, in the case of State Bank of India) in regard to the lending procedure and other things. The norms vary from individual to individual. Therefore, the banks should come under the scrutiny of the Committee on Public Undertakings.

What is happening today? There is a peculiar situation. I myself have seen it. As you know, deposits are being mobilised by the banks, particularly, the State Bank of India. Deposits are being mobilised in their various branches. To help in more mobilisation of funds, the banks give some commission to the people who are promoters of mobilisation of deposits. I do not have any quarrel so far as the mobilisation of funds is concerned by way of deposits. But the deposits should be used for the purpose of investment so that one could get a proper return. This requires a through study as far as the State Bonk of India is concerned.

We have a young and dynamic Minister here. He takes a keen interest in the working of the banks, in the performance of the banks. The public sector banks, particularly, the State Bank of India, which is in the hands of a few individuals, should be freed from these shackles. I hope the hon. Minister would apply his mind. He should give an assurance that the performance of the State Bank of India would definitely be reviewed by him. Sir, a lot of new private banks are coming up. I understand that Reserve Bank has given permission to some private banks to issue drafts Tike State Bank of India and that draft has been accepted by various Indian nationalised banks. They say that it can be accepted by about one hundred banks. In my State I find that there are two such 'tending institutions whch have started functioning and issuing drafts. I would like to know who gave them the permission to issue drafts without having the authorised capital, secured money; without getting amy licence, how these lending institutions have started funtioning. They are violating all the rules. The hon. Minister may order a probe into this and see under what rules all these private lending institutions are permitted to issue drafts on the lines issued by the nationalised banks.

As far as lending is concerned, I have no quarrel with the banks to run on profit. Profit should be the motive. I agree, but the State bank has to do a competative business as compared to the other scheduled banks. For the purpose of lending money to industrialists and business community, State Bank takes longer time than other schedule Banks even if same documents and records are produced to them. State Bank takes more time and in that process corruption, mismanagement and all other things take place. That aspect has to be gone into by the Hon. Minister because the Jankiraman Committee has dealt with the securities scam elaborately and the JPC is gonig to submit its report.

About the role of the foreign banks, the foreign banks which are operating in India, are plundering the Government money and also the public money. Although they are competing with other nationalised banks of this country, they are violating the norms, rules and regulations which are prevailing in this country. These banks are earning huge profits. They are taking away the money from this country to their respective countries. There are a lot of complaints about the violation of rules by foreign banks I want the Minister to cancel their licence. *(Interruptions).* The name of the City Bank has been brought to the notice of the Government. *{.Interruptions).* You are not a member of the JPC. Therefore, you do not know.

SHRI G. SWAMINATHAN : My party-man is there and he has been well known now.

SHRI V. NARAYANASAMY : He is well known but he has not informed you properly.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh) : Why not recom-

mend to the Minister to postpone passing of this Bill till the JPC report is out ?

SHRI V. NARAYANASAMY : No, no, this Bill has- nothing to do with that.

SHRI MENTAY PADHANABHAM : Then why are you speaking about these matters ?

SHRI V. NARAYANASAMY : I do not want Mr. Padmanabham to respond. I am making my point.

About the functioning of the foreign banks *(Interruptions).* Mr. Minister, are you hearing me ? If you are hearing Mrs. Kamla Sinha, 1 will stop my speach ? I said that you are a young and dynamic Minister. ...

SHRI G. SWAMINATHAN : On a point of order. A Member cannot talk directly to another Member. He can only talk to the Chair directly. He has been a Vice-Chairman. That is why suddenly, he is forgetting whether he is talking as a Member or a Vice-Chairman. As a Member he starts talking like a Vice-Chairman and as a Vice Chairman he starts talking like a Member. That is the difficulty ; that is the confusion.

SHRI V. NARAYANASMY : Mr. Vice-Chairman, I want the hon. Minister to give a categorical reply in this House. A lot of ir-regularities in the functioning of the foreign banks have been noticed and they were brought to the notice of the Minister by documentary evidence. In spite of that, action has not been taken against the foreign banks. Not only that. They are competing in this country and are taking away the profits from this country. The public depo-site and also the deposits that they are getting from Government 'organizations as compared to nationalized banks have to be gone into. I want the Minister to reply to all these points.

With these words, Sir, while supporting the Bill, I want the hon. Minister to consider ail there points.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh) : Sir, it has been stated that the Bill is in accordance with the Narasimham Committee report. The Narasimham Com-mitee report is yet to be discussed in both the Houses, and the recommendations of the Committee are getting implemented one by one.

In the recent budget proposals, Dr. Man-mohan Singh ear-marked about Rs. 5,700 crores to raise the equity capital of the nationalized banks. I am afraid, that money is not enough and in the coming budgets too the hon. Finance Minister will have to earmark much more money.

The main problem is not whether to raise the equity capital or not. I think the main problem is that the banks are not serious about the recovery of loans. In spite of the mention in the Narasimham Committee report regarding transparency of the balan-cesheets, nothing serious has been done by the concerned banks regarding the recovery of loans. It has been reported recently that the Reserve Bank of India has sent out a circular and asked the Various management? of the nationalized banks to lay stress on the recovery of loans. But the ground reality is such that the managerial staff at the lower level are not serious to implement the same. For example, as far as crop loans or term loans are concerned, for the agricultural sector, there is a guideline from the Reserve Bank of India dated 16th March 1984. There the Reserve Bank says that in the case of Small and marginal farmers, for term loans the interest component should not exceed the principal. I volunteered myself in my district and I appealed to all the banks that provided the banks come forward with a policy statement or an endorsement that whosoever pays, by 31st of March 1994, interest equal to the amount of the principal in the case of sticky loans or crob loans, the banks are prepared to close those accounts and return the security bonds like title deeds, etc., I myself would ensure that at least 75 per cent of the crop loans in my district

would be paid back by, the faipung com munity as far as the sticky loans are con cerned. But the managements are not seri ous. I raised the matter umpteen times, in the DLC and the proposal was forwarded to the State level Bankers Committee, and the Bankers, 'Committee is yet to take a decision. .....

I would like to know from the hon. Minister, information about the. sticky loans of the various banks. Whether it is, the State Bank or the Andhra Bank or some other bank, you publish the figures, whosoever is a defaulter with more than Rs. 5 lakhs or Rs. 10 lakhs, you publish the accounts that these are the people with big loans from the banks, these are with political connections, etc., these are from the Treasury Benches, etc., and so much amount is due to the banks. Let it be published each and every year. Every year umpteen questions are being asked on the floor of both the Houses of Parliament with regard to defaulters of income tax, and during every session, about defaulting cine stars, politicians, etc., they are coming forward with information. Likewise, I hope, Dr. Manmohan Singh will make it a point to see that details about, the defaulters of large amounts of sticky loans are published from time to time. If it is done I am sure that the amounts will be recovered. We are aware.that the erstwhile Imperial Bank was nationalised and almost all the shareholdings were with the State Bank of India and only 1.7 per cent were held by the then shareholders. For these 1.7 per cent shareholdings, the number of Directors on the Board was two. The hon. Minister has, mentioned that it is not going to be enhanced even for 10 per cent shareholdings of the private sector and individuals. I am very much afraid that it will be struck down by the court of law, and it will be increased in due course.

About fixing of rates of the shares, it is arbitrary. What norms the Government ha$ taken into consideration while fixing the rates of these shares, I do not know. The hon, Minister, in the course of his reply, may enlighten the. House in regard to t;he norms that he *took* in filing the rate of each and every share it proposes to promote.

I feel, as in the past, instead of opening the shares to the public, if it is a rights issue etc etc., it will be a little bit useful and it will be a little bit better. In many cases, the officials, whether they are the Chairmen or the Executive Directors or the Directors on tile Board, aire not taking any responsibility for the functioning of the banks. The Government is represented through its Joint Secretaries and others on each and; every bank, but they are *not* serious in knowing about the functioning of the banks.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : Please conclude.

DR. YELAMACHILI SIVAJI: I am trying to conclude, Sir.

In several places in and around Delhi the State Bank branches are making losses, and it is reported that closure of about 5,000 branches is in the offing. Some Government agency has denied it. I do not know. If not today, it appears to be in the offing during the course of the next year or something like that. I would like to know from the hon. Minister about the provision he is going to make for capital adequacy in his next budget. Instead of repeating the same and instead of encouraging inefficiency among the nationalised banks, it is better to tone up the administration and see that sticky loans are recovered. For that purpose I would like to propose some compromise or alternative etc. etc. May be, the Government may take a special drive to do so so that capital adequacy emerges.

Thank you.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, during the investigation by. the Joint Parliamentary Committee into the securities scam, the Reserve; Bank of India., has

come in a very poor light on the functioning of our banks in general including the State Bank.

I will not enter into the controversial points which led really to the lack of collective functioning of the Joint Parliamentary Committee. The issue on which this division has taken place, relates particularly to the functioning of the banks where fraud to an almost unlimited extent continued with impunity, without any control being exercised either by the Reserve Bank or the Boards of various banks, the State Bank not excluding. The State Bank of India has come in for many sharp criticisms. So far as the G'overnor of the Reserve Bank is concerned, we know, there has been a great anxiety on the part of the ruling party to exonerate Mr, Venkitaramanan. who was Governor of the Reserve Bank of India during the period—if we do not call it a fraud—of the economic irregularities which could have been set right by the Reserve Bank of India. So far as the State Bank of India is concerned, a large amount of money was withdrawn from the Bank against fraudulent drafts or letters of credit. Whose responsibility was it to tackle these things ? The Finance Minister is credited with a statement made in public that he was not going to lose his sleep over these petty matters. Our Finance Minister dealt with many big matters. Therefore, coming to a poor country like India, he is not going to lose his sleep over pety matters, but in this poor country with such petty things we are unable to leave these petty matters.

The Amendment Bill that has been proposed is supposed to increase the capital base of various nationalised banks, including the State Banks of India. Here the provision is for the State Bank of India which was formed by a separate charter from out of the Imperial Bank *to* the State Bank of India. That was its transformation.

Regarding its management various complaints have been raised. So far M those aspects are concerned, this amendment is silent. The Government does not show any intention to take steps for removing those deficiencies. Banking is supposed to deal with other people's money. And when it Is others' money, that can be dealt with in any manner they like In spite of some institutional guarantees provided in various Acts, call by whatever name you like. The question is Whether these Bills will really improve the accountability of the Banks. The Estimates Committee lately, on top of the securities scam, pointed out that large amounts of fraudulent practices have been detected in the functioning of banks, which are in a way custodians of the country's money. If the fraudulent practices continue with impunity, the Uttar demolition of the country's economy may not be far off in spite of the reforms of Dr. Manmohan Singh in order to make the country rich with the money borrowed from other countries. So, this Bill really does not touch any point of the ailments in the banking system. From that point of view it is not in any way to be lauded. On the other hand, it makes sufficient loopholes in the name of capital raising to make room for privatisation of banks, which, it is our apprehension, is the main object of this amendment Bill. The. Government is on a selling spree of every nationalised institution. The banks which are the most powerful of the nationalised institutions, if those can be privatised, tte selling of the country to national private capitalists, international private capitalists, international capitalists and monopoly capitalists is not far off. That sinister implication of be Bill has to be taken into account. From that point of view this Bill has to be opposed tooth and nail. Thank you, Mr. Vice-Chairman.

SHRI ASHOK MITRA (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, only yesterday our colleague, Shri N.E. Balram was sad and surprised because unlike Pandit Jawaharlal Nehru who used to watch all the performances staged by Kerala Kala Man-dalam, the leaders of the present Govern-ment do not bother at all to visit that great centre of arts. I am surprised he was

surprised, because it is the cardinal policy . of ;this Government to rub out the last vestiges of the heritage of Jawaharlal Nehru ; and the amendment Bill that has been brought to gradually privatise the State Bank of lndia is another instance of that Thirty-eight years ago Jawaharlal Nehru nationalised the Imperial Bank of India. Now it is called the State Bank of India. Perhaps, as a result of the process is today in a period of ten years we will be back to a situation where the State Bank of India will be redesignated as "the Imperial iBank of India" or perhaps' "the Colonial Bank of India".

But what still surprises me is the rationale of the Ordinance. What does the .Government say about it ? They say that the Ordinance was necessitated by the fact that the Committee on the Financial System has made certain recommendations I do not want to say any harsh things about the Committee. The Finance Minister is present here. There are some friends of mine as well as his on the Committee. So I leave it as it is. Even then it is not a body above Parliament. Its recommendations have not been given statutory effect *fa.* Before we considered the matter, why should the Government rush with an Ordinance merely because there were certain recommendations made by that Committee? There was absolutely no reason for them to do so.

The second aspect is very interesting. The Government still says that they will shortly announce a rights cum Public issue. It is not yet announced. 40 days had passed between the issue of the Ordinance on November 25 and the printing of the Statement of objects and Reasons. Obviously the Government has not bothered to take the step to announce the public cum rights issue. So there was no immediate hurry. Then, what was the reason behind this Ordinance ? All I can do is speculate that there was a demi-god from Washington wh*o pulled up* the Gorornment, "You are not doing enough with the privatisation of Ifte banking system." The Government might have paid, "Yes, Sir, yes, Sir, we are going to do something immediately." Hence this Ordinance, I do not know. The Finance Minister might enlighten us on this.

The matter does not quite end here. Let me try *to* draw the attention of the House to paragraph 4 (iii) of the Statement of Objects and Reasons. They have mentioned as our reason for issuing; the Ordinance.

> "raising of ceiling placed on voting rights from 1 per cent to 10 per cent;"

Now, let Us try to read through the text of the Amending Bill. Clause 3 says :

"For section 11 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

> 11. No shareholder, other than the Reserve Bank, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the issued capital :"

Fine. But does the Government stop here ? No. There is a further paragraph :

> "Provided that such shareholder shall be entitled to exercise: voting rights at such higher percentage as the Central Government may, after consultation with the Reserve Bank, specify."

What does the Government mean? Is the Government trying to take Parliament for a ride, Is it trying, deliberately, to make a mis-statement, to mislead the house ? It is an open-ended thing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : You have to conclude now.

SHRI ASHOK MITRA : You can permit them to hold voting rights to any extent. It could be 20 per cent; it could be 25 per cent; it could be 50 per cent; it could be 80 per cent. Now, therefore, what is stated in the body of the Bill is not something which is stated in the Objects and Reasons, which is a very serious matter. I am sorry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Please conclude now.

SHRI ASHOK MITRA : The bill is stated to be necessary because of the capi tal inadequacy of the State Bank. If we have capital adequacy, then, there will be greater international credibility of the State Bank. I am sorry. After what you have done, through the scam, to the State Bank of India, it will be years and years and years before international credibility of the State Bank could be re-stored. So, let us not beat about the bush and say that it is in order to raise our international credibi lity that this kind of Bill is being brought. Nothing of that sort. It depends on how you run your banking system, whether you allow crooks to operate inside your system or not. You have allowed crooks to operate, to decapitalise your banks, including the State Bank of India. The capital base bas been .eroded. That is, perhaps, why you are scrounging around for additional capi tal. I tabled a question to the Finance Minister .....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : Please conclude.

SHRI ASHOK MITRA: ... last week. I asked, "What about introducing more transparency into the banking system ? I also asked him whether we could emulate the example of a neighbouring country which made it a point ta disclose the name of the crooks and thieves who had stolen money from the banking system, borrowed money from banks and did not return it. The answer that I received from the Finance Minister was, "No. No such proposal is on the anvil." Therefore, the crooks' names will not be disclosed ; the thieves' names will not be disclosed. They have run away with the banks' money ; they have run away with the banks' capital assets.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : Please conclude now.

SHRI ASHOK MITRA: On top Of that, through the team, they have collected more money from the Government system. And, I have a suspicion that you have deliberately undervalued the shares of the 'banking in the bill. Speaking en this Bill, my cok league, Shri Ashis Sen, has already gone into the details. Some of these crooks who have stolen money from the State. Bank will use this money to buy the shares, of the Bank the crooks will then take over the *bank (time-bell rings.)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : Please conclude now.

SHRI ASHOK MITRA : ... it is a shame that this kind of an Amenpding Bill has been brought. Thank you.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय भारत में सन् 1955 तक इम्पीरियल बैंक था और उसके बाद 1955 में ही भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया, जिसके लिए उस समय भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 भी पारित किया गया था। आज उस अधिनियम में संशोधन के लिए यह भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक 1993 लाया गया है। मैं सिद्धांत रूप में और ऐसे भी इस विधेयक के प्रावधानों का विरोध करता हूं।

महोदय, मुझे इस विधेयक के संबंध में बहुत ज्यादा नहीं कहना है, केवल तीन-चार बातें रखना चाहूंगा। एक तो यह कि जैसी मेरे पूर्व वक्ताओं ने राय व्यक्त की है, यह जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनके निजीकरण की ओर कदम है और यह इस अधिनियम के प्रावधानों से साफ हो जाता है। दूसरे वक्ता जैसा अभी डा० अशोक मित्रा जी ने भी व्यान आकर्षित किया, यह जो संशोधन विधेयक है, इसका जो क्लॉज "तीन" है, इसमें प्रावधान किया गया है —

"No shareholder, other then the Reserve Bank of India, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any snares held by him is excess of 10 perout.

यह जो वोट देने का, मत देने का अधिकार है, इस पर क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्यों रिस्ट्रेशन लगाया जा रहा है? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। यह तो जो शेयर होल्डर है, उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों का अतिक्रमण है। दूसरे, इसमें कई जगह बैंक के डायरेक्टर की भी चर्चा की गई है। पिछले ढाई तीन साल से अधिक समय से जब जब भी इस विषय में वित्त मंत्रालय से प्रश्न पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है या गैर राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनमें जो सरकारी और गैर सरकारी डायरेक्टर के पद रिक्त पड़े है उनको क्यों नहीं भरा जाता तो बराबर सरकार की ओर यही उत्तर आता है कि उन पदो को भरने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया चालू है और शीघ्र ही यह पद भर दिए जाएंगे। इस विषय में मैं यह जरूर चाहूंगा कि जब वित्त मंत्री जी अपना जवाब दें तो सदन को अवश्य अवगत कराएं कि इन दोनों किस्म के बैंकों, राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत में जो डायरेक्टर के पद सरकारी और गैर-सरकारी पद रिक्त हैं, यह क्यों रिक्त हैं, कब से रिक्त हैं और इनको भरने में क्या कठिनाई है? साथ ही कब तक इन पदों को भर दिया जाएगा।

महोदय, अंतिम बात, मैं इस बात की जानकारी वित्तमंत्री जी से चाहता हूं कि आखिर जब रक्षा-मंत्रालय तक का भी आडिट होता है तो यह जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है उसमें आडिट का प्रावधान क्यों नहीं है?

जैसा मैंने शुरू में निवेदन भी किया था, यह जो विधेयक यहां पर लाया गया है अध्यादेश के जरिए, इसका मैं विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि सदन की यह पूर्ण रूप से इच्छा है कि अध्यादेश के जरिये बहुत ही कम बिल सदन मे आने चाहिए। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : मंत्री जी, अब आप जवाब दें।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोलें, उससे पहले केवल एक मिनट मैं ले रहा हूँ। माफ करेंगे।

जैसा कि मालवीय जी ने कहा, यह तो बोर्ड आफ डायरेक्टर की बात उन्होंने की, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि कई बैंक ऐसे हैं, जहां चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की जगह भी रिक्त है, जो कि हाइएस्ट जगह होती है। इस बारे में मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इनको भरने में सरकार को क्या कठिनाई है?

दूसरी बात यह है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कुछ बैंकों को लाइसेंस दिए कई जगह बैंकों की नई, शाखाएं खोलने के लिए और जब सारी प्रक्रिया शुरू हो गई तो केन्सिल कर दिया। मैं बिहार के दो बैंकों का जानता हूं कि सेंट्रल बैंक को बेगुसराय और औरंगाबाद के लिए लाइसेंस मिला और सब कुछ हो जाने के बाद कैन्सिल कर दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले लाइसेंस ग्रांट किया उन्होंने मकान लिया, सब कुछ कर दिया और बाद में ऐसा है। यह गंभीर बात हैं। इसका मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। . . . (**व्यवधान**)

SHRI G. SWAMINATHAN: Sir the Finance Minister came in a hurry. We thought he is going to reply.

डा० अबरार अहमद : महोदय मैं सभी माननीय सदस्यों का, श्री मालवीय जी का चौधरी हरि सिंह जी का, आशीष सेन जी का, कमला सिन्हा जी का, विस्म्भी जी का, स्वामीनाथन जी का, चतुरानन मिश्रा जी का, वी० नारायणसामी जी का, वाई० शिवाजी का, प्रोफेससर सौरिन भट्टाचार्य जी का, अशोक मित्रा जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री शंकर दयाल सिंह : आप उनके आभारी रहिए, लेकिन हमारे सवाल का जवाब दे दें। . . . (**व्यवधान**)

डा० अबरार अहमद : आपका भी जवाब दे दूंगा, अभी तो शुरू ही मैंने नहीं किया। अभी तो मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। जवाब शुरू होने दीजिए।

महोदया, जो विचार आए हैं, उनमें अधिकांश बातें सिर्फ एक ही संदेह पर आधारित थीं, मात्र गलत धारणा पर आधारित थीं, जो वास्तविकता से परे है। माननीय सदस्यों ने यह संदेह व्यक्त किया, यह धारणा की कि इस पूंजी संरचना के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया को निजी हाथों में दिया जा रहा है या इसका निजीकरण किया जा रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यों को पूरा करने के लिए यह पूंजी संरचना की गई है, यह जो धारणा है कि इसके माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया को निजी हाथों में दिया जा रहा है या निजीकरण किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी तक जो इसकी पूंजी संरचना थी, उसमें रिजर्व बैंक आफ इंडिया का 98.23 परसेंट हिस्सा था, इंडिविज्युअल्स का .84 परसेंट का हिस्सा था और अदर्स का .93 परसेंट था। नए प्रस्तावों के बाद रिजर्व बैंक का जो हिस्सा रहेगा वह 68.93 परसेंट रहेगा। पब्लिक इन्क्लूडिंग एम्प्लाइज का 20.33 परसेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स का 5.37 परसेंट तथा इंडियन म्युचुअल फंड का 5.37 परसेंट रहेगा। यदि इन सभी आंकड़ों को देखा जाए तो बिल्कुल स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया का हिस्सा इस संरचना के बाद भी 68.93 परसेंट रहेगा और जिसके माध्यम से पूरी तरह से इस पर नियंत्रण, इसका नीति-निर्धारण सरकार के माध्यम से होगा। यह जो धारण है कि इसको निजी हाथों में दिया जा रहा है या इसका निजीकरण किया जा रहा है, यह बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। इस गलतफहमी को या इस के आधार पर या इस संदेह के आधार पर या इस डर के आधार पर जो भी माननीय सदस्यों के मूनिष्तक में . . . (व्यवधान

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Sir, I am on a point of order.

यह जो "मिथ्या" बोले हैं, यह अनपार्लियामेंटरी नहीं हो जाता ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : What is the point of order in the Minister's reply ? ... *(Interruptions)* ... No, no ; you can't say like this. After he concludes, you can raise your point of order.

डा० अबरार अहमद : तो संदेह के आधार पर जो भी धारणा बन रही है, वह गलत है। वास्तविकता यह है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया में जो पूंजी संरचना मैंने बताई उसके माध्यम से किसी भी प्रकार से यह निजी हाथों में नहीं दिया जा रहा है।

माननीय सदस्यों ने बैंकिंग व्यवस्था के बारे में बहुत सी कमियों का भी उल्लेख किया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बहुत सी कमियां हैं लेकिन सरकार सतत् रूप से निरंतर उन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठा रही है और हर चन्द यह प्रयास किया जा रहा है कि बैंकों की स्थिति सुधरे और उसी श्रृंखला के अंदर यह भी एक कदम है। सदन में हर रोज बैंकों की व्यवस्था के बारे में चर्चा होती है, बैंकों के घाटे के बारे में चर्चा होती है, बैंकों में करप्शन के बारे में चर्चा होती है, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि जब भी उसके सुधार के लिए कोई कदम उठाया जाता है, जब भी किसी को किसी बैंक में मर्ज किया जाता है या किसी भी सुधार से किसी पक्ष को किसी प्रकार का आघात पहुंचता है तो उसके लिए तत्काल आपत्ति भी की जाती है। जब कोई सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं तो निश्चित रूप से वे कदम कड़वे भी हो सकते हैं, उसमें सख्ती भी हो सकती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि अभी गए कुछ दिनों में जो कदम हमने उठाए हैं उसमें से जो लॉस मेकिंग ब्राचिज है, उनको बन्द करने की अनुमति भी बैंक को दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव जोनल आफिस से अन उत्पादक शाखाओं को बिजनेस पोटेंशियल

वाले क्षेत्रों में शिफ्ट करने की भी आर० डी आई० ने स्वतंत्रता दी है । एस० एल० आर० तथा सी० आर० आर० में कमी की गई है जिससे बैंकों के पास सरप्लस फंड आए और जिससे उधार देकर वे अपनी प्रोफिटेब्लिटी में वृद्धि कर सकें । ओवर ड्यूज में फंसी बकाया राशि को वसूल करने के लिए अभी गए सत्र में ही रिकवरी ट्रिब्यूनल की स्थापना करने के लिए यहां बिल लाया गया है । स्टिकी एडवांसिस के बारे में ज्यादा ध्यान दिया गया है, उनके कम करने के लिए । ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए कंप्यूटराइजेशन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बैंकों में कन्करेंट आडिट लागू करने के लिए आर० बी० आई० द्वारा इन्स्ट्रक्शन्स दी गई हैं । बैंक कर्मचारियों के सी० आर० के प्रोफार्मे में परिवर्तन किया गया है जिससे कंसेप्ट आफ एकाउंटेब्लिटी को लागू किया जा सके । सरकार द्वारा पूर्व बजट के माध्यम से 5700 करोड़ रुपए की पूंजी ढांचे की सुदृढ़ करने के लिए मदद दी गई है और अभी माननीय सदस्य ने बैंक्स के चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में भी सवाल किया था।

तो मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि गए 8–10 महीने के अन्दर काफी बैंकों के चेयरमैन के जो पद रिक्त थे, वे भरे गए हैं और उन बैंकों के नाम भी अगर आप चाहें तो मैं बतला सकता हूं। उसमें स्टेट बैंक . . . (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : कितने खाली हैं ?

डा० अबरार अहमद : हां, वह भी बतला रहा हूं, आप सुनिए तो सही । आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगा । उसके अन्दर जिनको भरा है उसमें स्टेट बैंक आफ इंडिया, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ महाराष्ट्र, बैंक आफ बड़ौदा, यू० को० बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और इलाहाबाद बैंक हैं । जिन बैंकों में अभी पद रिक्त हैं वह मात्र तीन बैंक हैं—आन्ध्र बैंक, देना बैं० और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया । देना बैंक में अभी लगभग महीने भर पहले यह वेकेंसी हुई है और इसका प्रस्ताव भी ए० सी० सी० के अन्दर गया हुआ है । यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया का प्रस्ताव भी ए० सी० सी० के अन्दर गया हुआ है। तो लगभग-लगभग सरकार का रह पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी किसी भी बैंक के अन्दर चेयरमैन का पद अगर रिक्त होता है तो उसको भरा जाए और इस दिशा में गए कुछ दिनों में . . . (**व्यवधान**)

SHRI V. NARAYANASAMY : When reappointing a chairman, if there are complaints against him, do not appoint him. When there are complaints which are being investigated, kindly don't appoint him as chairman.

DR. ABRAR AHMED : It is a different thing.

SHRI V. NARAYANASAMY : No, no. It is on the Question of appointment of chairman. If the period of a chairman is expired and if you want to reappoint him for the next five year term, you should not appoint him as Chairman when there are complaints against him,

डा० अबरार अहमद : महोदय, जहां तक कुछ शिकायत की बात है, उसकी जांच का तरीका अलग है । यहां जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए सरकार क्या कर रही है इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने पूछा है । मैंने विशेष रूप से गत दिनों में जिन बैंकों के रिक्त पदों को भरा है, उन बैंकों का नाम भी बताया और जिन बैंकों के रिक्त पद हैं वह भी मैंने बताया है । इसके साथ मालवीय जी ने यह जानना चाहा था कि इसमें अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता थी । माननीय मालवीय जी का यह मूल प्रश्न था। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि एस० बी० आई० की केपिटल एडीकेसी नार्म्स 8 परसेंट का थी, जो 31 मार्च, 94 तक पूरा करना था

और उसी के लिए सेबी में भी इसके लिए आवेदन देना पड़ता है। तो उन सब औपचारिकताओं के अन्दर समय लगता है और उसको दृष्टिगत रखते हुए ही यह आर्डिनेंस लाया गया ताकि 31 जनवरी, 94 तक यह 5 परसेंट केपिटल एडीकेसी नार्म्स पूरा किया जा सके। इसके साथ ही साथ श्री आशीष सेन जी ने कुछ सवाल उठाए और उनमें से एक सवाल माननीय सदस्य ने शेयर के वैल्यूएशन के बारे में किया और यह कहा कि यह शेयर जिसकी कीमत दस रुपए है, उस शेयर को क्यों नहीं 290 रुपए प्रीमियम पर 300 रुपए के अन्दर इश्यू किया जाए। महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि अभी जो 100 रुपए के शेयर की बाजार कीमत है वह 2750 रुपए है, 2-11-93 का जो लिस्टेड उपलब्ध है उसके अनुसार। गत 12 माह के अन्दर इस शेयर की जो न्यूनतम कीमत रही है वह 2200 रुपए रही है और इतनी ऊंची कीमत का कारण यही है कि बाजार में ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग स्टाक बहुत कम है। जो 100 रुपए के शेयर की बुक वैल्यू इस समय है, वह 829 रुपए है यानी 10 रुपए के मूल्य पर इसकी बुक वैल्यू लगभग 83 रुपए आती है। 1993-94 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रति शेयर की आय अनिंग प्रति शेयर 10.90 रुपए के आसपास अनुमानित है और 31 मार्च, 94 के अन्त में इस शेयर की जो बुक वैल्यू होगी वह 84.90 होगी।

SHRI ASHIS SEN : What will happen one year hence ?

डा० अबरार अहमद : इस प्रकार से जो हमने शेयर की ऑफर प्राइस 100 रुपए रखी है वह शेयर की 31 मार्च, 94 को अनुमानित बुक वैल्यू का केवल 1.18 गुना है तथा इसका रेशो केवल 9.2 आता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए तथा छोटे निवेषकों को आकर्षित करने के दृष्टिकोण से इस शेयर की कीमत 100 रुपए रखी गई है। माननीय सदस्य ने यह भी जानना चाहा था कि इसकी जो पेड-अप कैपिटल है वह 20 करोड़ रुपए से कैसे बढ़ी ? तो केन्द्रीय सरकार ने 1985 में इसे 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए किया था और 1990 में इसे 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपए कर दिया था जिसका प्रावधान एस० बी० आई० ऐक्ट में है जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार उस राशि को बढ़ा सकती है। माननीय आशीष सेन जी ने विदेशी निवेशकों पर शेयरहोल्डिंग के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध के बारे में पूछा था। तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इसमें किसी भी विदेशी निवेशक पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वह भी भारतीय निवेशकों के समान पब्लिक इशू में आवेदन कर सकते हैं।

SHRI ASHIS SEN : Sir, I could not exactly understand the Minister. Does he mean that foreigners will also be allowed to purchase shares ?

DR ABRAR AHMED : Anybody can come on the same terms and conditions. There is no special provision for them.

श्री सुकोमल सेन : आप देश की बिक्री कर दीजिए।

डा० अबरार अहमद : श्रीमती कमला सिन्हा जी ने दो प्वाईंट खास तौर से इसमें पूछे थे। एक तो निजीकरण के बारे में था। उसके बारे में मैंने प्रारम्भ में ही बता दिया है। दूसरा प्वाईंट यह था कि एस० बी० आई० कितने रुपए बाजार में रेज करेगा। तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि अलग-अलग कैटेगरीज यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक, इम्प्लाइज, आदि से कुल मिलाकर जो पूंजी रेज की जाएगी उसकी फेस वैल्यू 256 करोड़ रुपए है और इशू प्राईस 2032 करोड़ रुपए है।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra) : Sir, they can participate on the same terms

and conditions. When they are given dividend, would it be given in foreign currency or in Indian,currency?

डा० अबरार अहमद : मैंने शुरू में ही कहा है कि मैं प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगा । जो-जो सवाल माननीय सदस्यों ने पूछे हैं, मैं एक-एक करके उनका जवाब दे रहा हूं । जो मैंने करेक्टिव स्टैप्स बताए हैं और पूंजी संरचना के बारे में जो सूचना दी है, उससे ज्यादातर सवालों का जवाब आ जाता है लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई सवाल रह जाता है तो में एक-एक करके उनका जवाब दूंगा । अधिकांश सवालों का जवाब, जो करेक्टिव स्टैप्स मैंने बताए हैं, उनसे आ चुका है क्योंकि अधिकांश बात निजीकरण के बारे में कही गई है । मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि इस प्रावधान के द्वारा एस०बी० आई० को हम निजी हाथों में नहीं देने जा रहे हैं ।

महोदय, चतुरानन मिश्र जी ने पहली बात निजीकरण के बारे में कही थी, जिसे मैं स्पष्ट कर चुका हूं । उन्होंने एक बात सी०ए०जी० के बारे में भी कही थी कि क्यों नहीं सी०ए०जी० के अधीन इसकी जांच कराई जाए । तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वैधानिक ऑडिट इसका होता है । इसके कन्करेंट ऑडिट के लिए आर०बी०आई० ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं । रिजर्व बैंक भी इसका इंस्पैक्शन करता है । इसके लिए ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है और उसकी दो-तीन बैठकें भी हो चुकी हैं । यह सारे इसके इंस्पैक्शन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

प्राइवेट सैक्टर के बारे में माननीय चतुरानन मिश्र जी ने विदेशी और फॉरेन बैंकों के बारे सवाल किया था । मैं यह बताना चाहूंगा कि फॉरेन बैंकों में पहले ही 15 परसेंट की जो सीमा थी उसको बढ़ाकर 32 परसेंट कर दिया गया है । उनका यह कहना था कि क्यों नहीं इस को 40 परसेंट किया जाए । तो जिस प्रकार से फारेन बैंक्स की शाखें बड़े शहरों में आ रही हैं, वहां पर तो यह सम्भव नहीं होगा फिर भी उचित समय पर गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ी तो इस बारे में निर्णय लिया जाएगा । उन को किसी प्रकार की रियायत देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

महोदय, बाकी माननीय सदस्यों ने जो सवाल पूछे थे लगभग यही सवाल थे जिनका उत्तर मैंने दिया । डिविडेंड के बारे में माननीय जगेस देसाई जी ने जो सवाल किया था तो उस में फेरा के अन्तर्गत अन्य प्रकार के निवेशों के लिए जो रिपैट्रिवेशन रूल्स हैं उन के अनुसार विदेशों में भेजी जाएगी । एस०बी०आई० के लाभांश के लिए अलग से कोई रियायत नहीं है । यदि निवेश मुद्रा में होगा तो इसका रिमिटैंस भी विदेशी मुद्रा में होगा । इस लिए जो एक धारणा इस बिल के बारे में बनी थी, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इसके माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया को अपने पूंजी आधार को बढ़ाने के लिये और कैपिटल रेशियों को पूरा करने के लिए यह बिल लाया गया है । मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI; MD. SALIM) : I shall now put the statutory resolution disapproving the State Bank of India (Amendment) Ordinance, 1993. to vote ... (*Interruptions)* ....

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : We want Division ...

SHRI SUKOMAL SEN : Yes, we want Division.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : It is very clear:

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: No, we want Division ...

SHRI SATYA. PRAKASH MALVIYA: I am pressing for Division.....

SHRI G.O. SWELL (Meghalaya) : If they do not agree, you have to call for

Division. But if they agree, then the matter is over.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : We want to expose people like Shri Jagesh Desai. While speaking on the BHI they oppose it and while voting, they vote for it.

SHRI V. NARAYANASAMY : We have only given suggestions to the Minister. We did not appose it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : You can have it at the final stage.

SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA: We wont division on the question of disapproval.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I shall now put the Resolution moved by Shri Satya Prakash Malaviya to vote. The question is :

"That this House disapproves of the State Bank of India (Amendment) Ordinance, 1993 (No. 33 of 1993) promulgated by the President on the 15th OctOber, 1993."

5.00 *P.M.*

The House divided.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) ; AYES — 22.
NOES — 62.

AYES—22

Balaram, Shri N.E. Bhattacharya, Prof. Saurin Ganesan, Shri Misa B.. Gautam, Shri Aaand Prakash Jaiswal, Shri Anant Ram Maheshwari, Shrimati Sarala Malaviya, Shri Satya Prakash Mitra, Shri Ashok Mohanty, Shri Sarada Padmanabham, Shri 'Mentay Pandey, Shrimati Chandra Kala Rahman, Shri Mohd. Khaleelur Raju, Shri J.S. Rao Shri V. Hanumantha Sen. Shri Ashis Sen. Shri Sukomal Singh, Shri Shankar Dayal Sinha, Shrimati Kamla Sivaji, Dr. Yelamanchili Venkatraman, Shri Tiadivaaam G. Viduthalai Vimmbi, Shri S. Yadadv. Shri Ish Dutt

NOES—62

Abrar Ahmed, Dr. Adik. Shri Govindrao Alva, Shrimati Margaret Antony, Shri A.K. Aram, Dr. M, Azad, Shri Ghulam Nabi Balbir Singh, Shri Barongpa, Shri Sushil Bhardwaj, Shri Hansraj Bhatia, Shri Madan Chowdhry, Hari Singh Dard. Shri Jagir Singh Desai, Shri, Jagesh Faguni Ram, Dr. Fernandas, Shri John F. Fotedar, Shri Makhan Lai Ghufran Azam, Shri Hanumanthappa, Shri H. Hariprasad, Shri B.K. Hashim, Shri M.M. Hashmi, Shri Shamim Hiphei, Shri Jacob, Shri M.M. Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao Jayadevappa, Shri K.R. Kalmadi, Shri Suresh

Kataria, Shri Virendra
Korwar, Singh Gundappa
Krishnan, Shri G.Y.
Lenka, Shri Kanhu Charan
Madhavan, Shri S.
Manmohan Singh, Shri
Matang Sinh, Shri
Mathur, Shri Manmohan
Meena, Shri Moolchand
Mishra, Shri Shiv Pratap
Mohammad Yunus, Shri
Narayanasamy, Shri V.
Nomani, Maulana Habibur Rahman
Pande, Shri Bishambhar Nath
Parmar, Shri Rajubhai A.
Patel, Shri Vithalbhai M.
Pillai, Shri Thennala Balakrishna
Pragada Kotaiah, Shri
Rafique Alam, Shri
Ramachandran, Shri S.K.T.
Ratan Kumari, Shrimati
Razi, Syed Sibtey
Sahay, Shri Dayanand
Sahu, Shri Rajni Ranjan
Sahu, Shri Santosh Kumar
Sanadi, Prof. I.G.
Sarma, Shrimati Basanti
Satchidananda, Shri
Satya Bahin, Shrimati
Singh, Shri Vishvjit P.
Singla, Shri Surinder Kumar
Solanki Shri Madhavsinh
Swaminathan, Shri G.
Verma, Shrimati Veena
Yadav, Shri Ram Naresh
Yonggam, Shri Nyodek

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Md. Salim) : I shall now put the motion moved by Dr. Abrar Ahmed to vote.

The question is :

"That the Bill further to amend the State Bank of India Act, 1955, as passed by,the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adpoted.

THE VICE-CHAIRMAN SHRI MD. SALIM) We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 *to* 23 *were added to the Bill*

SHRI SUKOMAL SEN : Sir, it is a very sad day.You are going in for voting. Ths is a Bill by which they want to privatize the State Bank of India ... *(Interruptions) ...* Therefore it si not possible for us to associate ourselves with the voting pattern here. Since they are going to sell out the Country. ... *(Interruptions)* ... we are walking out ... *(Interruptions) ...*

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : We are also boycotting ... *(Interruptions) ...*

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: We are also walking out ... *(Interruptions)* ■. .

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Sir this Bill is a prelude to denationalisation of the bank. So, I am also walking out ... *(Interruptions) ...*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : Our economy is going to be mortgaged to the multinationals. Therefore, we stage a walk-out.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause, 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

DR. ABRAR AHMED : Sir, I beg to move :

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri MD. Salim): Now, we shall take up clarifications on the statements by Ministers. We have two statements. First, we shall take on the statement by the Minister of Agriculture. Yes, Mr. Bhandare.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, before we start the clarifications, J. want to raise a very important issue. The news has come to me and I would like to draw the attention of the Home Minister . .. *{Interruptions) ...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : About what? Anything about the statement ?

SHRIMATI KAMLA SINHA : Sir, just now I have received a telephone call. You know, today, ten thousand people were demonstrating and many of our colleagues, Members, have gone there. It is about the deletion of names from the voters' list ... *(Interruptions) ...*

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Md. Salim) : This issue was raised in the morning.

SHRIMATI KAMLA SINHA : No, no. Our comrade, Mohd. Afzal, has gone with ten thousand people to the Eleotion Commissioner to submit the papers, the forms, etc. and the Election Commissioner has refused to accept them. He is sitting there in *dharna* before the Election Commission. The Minister of Home Affairs should come out with a statement. Many Members of Parliament have gone there ... *(Interruptions) ...*

THE VtCE-CilAIRMAN(SHRI MD. Salim) : You have made your point This morning this was raised. Now, you please sit down .,... *(Interruptions) ..* Please sit down. You cannot raise, it like this. Now, Shri M. C. Bhandare. *(Interruptions)*

SHRIMATI KAMLA SINHA Sir, I raised an issued ...

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Md. Salim) : You wanted to raise it. You have raised it.

SHRIMATI KAMLA SINHA : You should tell the Minister to say something.

THE VICE-CHAIRMAN (Sri Md. Salim) : It was raised in the morning.

SHRIMATI KAMLA SINHA : The Minister should react.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Md. Salim): Kamlaji, You did not listen to me. It was raised in the morning, *(interruptions)*

The Minister for parliamentiry Affffairs made the point ...

SHRIMATI KAMLA SINHA;)Now; the Member is sitting in *dharna.* .,.,

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Md. Salim): ... that be will communicate to the Home Minister.

SHRIMATI KAMLA SINHA : They are *still sittng there In dharana. (Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Md. Salim) : Please sit down. You have already made your point. Mr. Bhandare, please.

CLARIFICATIONS ON THE STATE-MENT BY MINISTER

Recent Earthquake in Maharashtra MM Adjoining Areas.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE -(Mahartshtra) Mr. Vise-Chairman Sir, the tragic and derastations